

दिनांक

आज्ञा पत्र

क्रमांक

26.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....(21/11/2021) पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....7.6.22 को पेश हो।

7.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....(5/10/22) पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....27.9.22 को पेश हो।

27.9.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....(21/11/2021) पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....7.12.22 को पेश हो।

7.12.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....(20/11/22) पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.....9.2.23 को पेश हो।

9.2.23

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील में रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय त्रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (वैद्य प्रबन्धन)

